

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

31-2020/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 27, 2020 (PHALGUNA 8, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 27th February, 2020

No. 11-HLA of 2020/23/3782.— The Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 11- HLA of 2020

THE HARYANA SHRI MATA MANSA DEVI SHRINE (AMENDMENT) BILL, 2020

A

BILL

further to amend the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine Act, 1991.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

- 1. This Act may be called the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine (Amendment) Act, 2020.
- **2.** For clause (b) of section 8 of the Haryana Shri Mata Mansa Devi Shrine Act, 1991, the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;".

Short title.

Amendment of section 8 of Haryana Act 14 of 1991.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Sub-section (b) of Section 8 of the Act disqualifies any person who is "of unsound mind and stands so declared by a competent Court or is a deaf, mute or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease" from being nominated as a Member of the Board. The Act was enacted in the year 1991 and with the change in the social structure where now physically challenged and terminally ill persons command great acceptability and respect in the society, to continue with the said provision appears unwarranted. Accordingly the Act is proposed to be amended by removing the disqualifications namely "if a person is deaf, mute or is suffering from contagious leprosy or any virulent contagious disease".

Hence this Bill.

ANIL VIJ,
Urban Local Bodies Minister
Haryana.

Chandigarh: The 27th February, 2020.

R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2020 का विधेयक संख्या 11-एच०एल०ए०

हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) विधेयक, 2020 हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 को आगे संशोधित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

- 1. यह अधिनियम हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता संक्षिप्त नाम। है।
- 2. हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 की धारा 8 के खण्ड (ख) के स्थान पर, 1991 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 8 का "(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

अधिनियम की धारा 8 की उपधारा बी के अनुसार किसी व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य के रूप में नामजद किए जाने के लिए अयोग्य टहराया जाएगा "यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित हो चुका है या यदि वह बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी विषाक्त संक्रामक रोग से पीड़ित है।" अधिनियम 1991 में अधिनिमित किया गया था और सामाजिक सरंचना में बदलाव के साथ यहां अब शारीरिक रूप से विकलांग और मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति समाज में स्वीकार्य और सम्मानित हैं। उक्त प्रावधान को जारी रखना अनुचित है। तदानुसार अधिनियम को "बहरा, गूंगा या संक्रामक कुष्ठ रोग या किसी भी विषाक्त संक्रामक रोग" अयोग्यताओं को हटाकर संशोधित करने का प्रस्ताव है।

अतः विधेयक।

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 27 फरवरी, 2020. आर० के० नांदल, सचिव।

8712—H.V.S.—H.G.P., Pkl.